20.06.2024:—पत्रावली पेशी मे आई। प्रार्थी वकील उपस्थित नही आए। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया कि अधिवक्तागण द्वारा पत्रावली मे कोई आवश्यक कार्यवाही नही हो रही है। प्रार्थी व प्रार्थी अधिवक्ता को बार बार आवाज लगाई गई। अवाज लगाने के उपरान्त भी असालतन/वकालतन उपस्तिथ नही आये। प्रार्थी व प्रार्थी अधिवक्ता के उपस्थित नहीं आने के कारण प्रार्थना—पत्र प्रार्थी अदम पैरवी/अदम से खारिज किया जाता है। पत्रावली भण्डार की जाकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2024.07.03 11:51:32 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़